



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 2-1-1/303/संबद्धता/2022/655

रायगढ़, दिनांक 22/08/22

// आदेश //


छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर के अनुमति पत्र क्र. एफ 3-96/2021/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 03.09.2021 एवं विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. क्रमांक 2-1-1/303/संब.निरी./2022/567 रायगढ़, दिनांक 23.07.2022 द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर शासकीय एम.एम.आर. महाविद्यालय, चांपा जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से निम्नानुसार विषय/पाठ्यक्रम में संबद्धता हेतु विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है :-

| क्रमांक | विषय/पाठ्यक्रम | सीट संख्या |
|---------|--|------------|
| 01 | एम.एस.सी.- (वनस्पति शास्त्र) तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर | 30-सीट ✓ |
| 02 | एम.एस.सी.- (भौतिकी) तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर | 30-सीट ✓ |

निर्धारित शर्तें :-

01. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का पालन किया जावे।
02. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को सम्बद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।
03. उपरोक्तानुसार पाठ्यक्रम अनुरूप अद्यतन पुस्तकें/उपकरण क्रय किया जावे। महाविद्यालय को उल्लेखित शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 23.09.2022 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में यह अस्थायी सम्बद्धता आगामी सत्र से स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव (प्रभारी)

पृ. क्रमांक 2-1-1/303/संबद्धता/2022/656

रायगढ़, दिनांक 22/08/22

प्रतिलिपि:-

01. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
02. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
03. प्राचार्य, शासकीय एम.एम.आर. महाविद्यालय, चांपा जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रभारी अधिकारी (अका.)